

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी 2014—फाल्गुन 1, शक 1935

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्र. एफ 19-2-2014-सत्रह-मेडि.-1.—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का क्रमांक 23) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय चार के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को निरीक्षक नियुक्त करती है, अर्थात् :-

1. श्री देशराज सिंह राजपूत
2. श्री लोकेश गुप्ता
3. श्री देवेन्द्र कुमार जैन
4. श्री उमेश रामचन्दानी
5. श्री जय प्रकाश कुम्हार
6. सुश्री सोनम जैन
7. श्रीमती सारिका अग्रवाल
8. श्री शरद कुमार जैन
9. श्री अलकेश यादव
10. श्री कन्हैया लाल अग्रवाल
11. श्री योगेन्द्र यादव
12. श्री धर्म सिंह कुशवाह
13. सुश्री अनामिका सिंह
14. श्री प्रदीप अहिरवार
15. श्री राधेश्याम वट्टी
16. सुश्री पूजा भाभर

No. F 19-2-2014-XVII-Medi-1.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940), the State Government, hereby, appoints the following persons to be Inspectors, for the purposes of Chapter-IV of the said Act for the whole of the State of Madhya Pradesh, namely :—

1. Shri Deshraj Singh Rajput
2. Shri Lokesh Gupta
3. Shri Devendra Kumar Jain
4. Shri Umesh Ramchndani
5. Shri Jai Prakash Kumhar
6. Ku. Sonam Jain
7. Smt. Sarika Agrawal
8. Shri Sharad Kumar Jain
9. Shri Alkesh Yadav
10. Shri Kanahaiya Lal Agrawal
11. Shri Yogendra Yadav
12. Shri Dharm Singh Kushwah
13. Ku. Anamika Singh
14. Shri Pradeep Ahirwar
15. Shri Radheshyam Vatti
16. Ku. Pooja Bhabhar

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.